



कार्यालय प्रधान महालेखाकार ,(हकदारी व लेखा)पंजाब ,
चंडीगढ़
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), PUNJAB, CHANDIGARH.
Plot No.-20, Sector-17E, Chandigarh-160017
Phone: 0172-2709576, 2702174, 2703976, Fax:
0172-2702286
E-mail: agaepunjab@cag.gov.in
क्रमांक :Admn-I/MISC /23-24/400
दिनांक:- 22/12/2023



कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश खाते के रखरखाव के सम्बन्ध में सभी अनुभागों को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 तक ली गई छुट्टियों को प्रशासन 1, प्रशासन 3 और प्रशासन यू. टी अनुभाग में 28.12.2023 तक जमा करना सुनिश्चित करे अन्यथा सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के अगले महीने का वेतन तदनुसार रोका जाएगा ।
2. सभी अनुभाग में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के सीएल और आरएच के अवकाश खाते को सुव्यवस्थित करने और सटीक ट्रेकिंग सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट के साथ प्रोफोर्मा SY-189 का उपयोग करें।

As per the orders of the Competent Authority, the following guidelines are issued to all sections regarding maintenance of leave account of all Officers/Officials:-

1. All Officers/officials must ensure that leaves availed by them during the period July 2023 to November 2023 except CL & RH must reach by 28.12.2023 to Administration 1, Administration 3 and Administration U. T section failing which concerned officer/officials salary for the next month will be withheld accordingly.
2. Leave account of CL & RH may be maintained in proforma SY-189 along with Biometric Attendance Report.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-1)

क्रमांक - प्रशासन-1/विविध/2023-24/4818-4827

दिनांक : 22/12/2023

1. महालेखाकार के सचिव
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वर्क्स प्रशासन.
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशासन-2, प्रशासन-3, प्रशिक्षण कक्ष, हिंदी अनुभाग
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कल्याण अनुभाग, सी.आर.टी- 1 व 2
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, आई.टी.ए, सी.एल.सी अनुभाग
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, यू.टी (एडमिन)
7. उप महालेखाकार के (सी.ए)
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, टी.एम-II
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.पी.सी.बी
10. पी.ए.ओ, आई.टी. सपोर्ट कक्ष

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-1)